न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/342

1. हेमन्त कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण ।
2. गिर्राज पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण ।
3. कल्याणी बाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति धोबी निवासीगण मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. पाना चन्द पुत्र कन्हैया लाल ।
2. हीना पुत्री ओमप्रकाश ।
3. उपासना पुत्री ओमप्रकाश ।
4. दीपा कुमारी पुत्री ओमप्रकाश ।
5. प्रेम बाई पत्नी ओमप्रकाश ।
6. मांगी बाई पुत्री कन्हैया लाल ।
7. कलावती पुत्री कन्हैया लाल जाति धोबी निवासीगण मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा (नाम तर्क) ।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 07.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम बोरखेडा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 206 रकबा 2.21 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि है । उक्त भूमि वादी कम 1 व 2 के दादा व वादी कम 3 के ससुर कन्हैया लाल के खाते में दर्ज थी

। कन्हैया लाल जी की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण क्रम 1 से 5 ने उक्त भूमि को अपने नाम फर्जी अपंजीकृत वसीयत के आधार पर दर्ज करवा लिया जिसका प्रतिवादी क्रम 1 से 5 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था । उक्त भूमि पर कन्हैया लाल की मृत्यु के बाद उनके तीनों पुत्र लक्ष्मीनारायण, पाना चन्द व ओमप्रकाश तथा ओमप्रकाश व लक्ष्मीनारायण की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रम 2 से 5 व वादीगण 1/3 – 1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । उक्त भूमि में वादीगण क्रम 1 व 2 का जन्म से ही हिस्सा है । राजस्व रिकॉर्ड में 1/3 हिस्से में वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 का नाम 1/3 हिस्सा पर व प्रतिवादी क्रम 2 से 6 का नाम 1/3 हिस्से पर दर्ज किया जाना आवश्यक है । प्रतिवादी क्रम 1 से 5 के खाते में दर्ज हो जाने के पश्चात् प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गई है और प्रतिवादीगण ने वादीगण को उसकी भूमि पर काश्त नहीं करने की धमकी दी । वर्तमान में उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम शामलाती दर्ज होने के कारण प्रतिवादी क्रम 1 से 5 उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा हैं ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण को 1/3 हिस्से की भूमि का व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/3 हिस्से की भूमि का व प्रतिवादी क्रम 2 से 6 को 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर अलग–अलग खाता एवं अलग से लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी अथवा उसके किसी भू–भाग को किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द व रहन, बेचान तथा अन्तरण व हस्तान्तरण नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण की अपील पेडिंग होने मात्र से वाद निरस्त करने में त्रुटि की है जबकि नामान्तरकरण की कार्यवाही समरी कार्यवाही मानी गई है तथा वाद की कार्यवाही रेगूलर कार्यवाही है तथा रेगूलर कार्यवाही जैरकार होने पर समरी कार्यवाही को स्थगित किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना राजीनामा के वाद निरस्त कर दिया। सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारान के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार का राजीनामा नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. तीनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में बिना राजीनामे के निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । नामान्तरकरण की अपील में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण मानकर त्रुटि की है । पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया उसमें न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही विधिक राजीनामा पेश किया

गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से विधि सम्मत निर्णय पारित किया है । लोक अदालत में वादी क्रम 1 और प्रतिवादी क्रम 1 उपस्थित हुए हैं । आराजी पुश्तैनी नहीं वरन् कन्हैयालाल को आवंटनशुदा भूमि है जिसमें अपीलान्ट को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता । आराजी की वसीयत प्रतिवादी क्रम 1 पाना ओर प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 के पिता एवं पति ओमप्रकाश के नाम की गई थी और वादीगण के पिता एवं पति लक्ष्मीनारायण ने सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये थे । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05. 06.2018 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है सिर्फ वादी क्रम 01 और प्रतिवादी क्रम 1 पाना चन्द की उपस्थिति दर्ज करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। सीपीसी की पालना नहीं की गई है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर, सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर तनकीवार विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 07.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा